आवश्यक/तत्काल

संख्या:83/2021/1419506/12-2099/139/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 15 नवम्बर, 2021

विषय: डी0ए0पी0 उर्वरक के प्रत्येक जनपद के टॉप-100 बायर्स का स्थलीय सत्यापन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या: 72/2021/1419506/12-2099/ 139/2021 दिनॉक 18 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कृषकों को उर्वरकों की बिक्री जोत बही/खतौनी में अंकित कृषि भूमि के आधार पर ही नियमित रूप से फसल की संस्तुतियों के अनुरूप सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कृषकों द्वारा रबी फसलों की बुवाई का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। रबी फसलों की बुवाई के समय बेसल ड्रेयिंग के रूप में मुख्यतया फास्फेटिक उर्वरकों यथा डी0ए0पी0, एन0पी0के0 एवं एस0एस0पी0 उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे वर्तमान में कृषकों के मध्य फास्फेटिक उर्वरकों की मांग अधिक होती है। शासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक कृषक को उसके द्वारा उगाई जाने वाली फसल की निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार फास्फेटिक उर्वरक पर्याप्त मत्रा में ससमय उपलब्ध हो।

3. उक्त के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(i) उर्वरकों की बिक्री की सतत निगरानी करते हुए कृषकों को उनकी जोत बही/खतौनी देखकर उसमें अंकित कृषित भूमि एवं उगाई जाने वाली फसल की निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित की जाए।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ii) भारत सरकार के एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर डी0ए0पी0 के टॉप-100 बायर्स की सूची में प्रदर्शित बायर्स का सत्यापन टीम बनाकर एक सप्ताह के अन्दर कराने तथा अनियमित बिक्री पाये जाने पर सम्बन्धित दोषियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाए।

(iii) अन्तर्राज्जीय सीमा वाले जनपदों से अन्य राज्यों को बिक्री करने वाले उर्वरक व्यवसाईयों की भी जांचोंपरान्त नियमानुसार उर्वरक अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 में निहित सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in